



निगरानी प्रकरण क्रमांक R 33-72/PBR/2014

बिबिध 233-PBR-15

पेशी दिनांक 17.02.2015

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

189

राजाराम पिता आँकार व अन्य - 50

..... प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर, धरमपुरी क्षेत्र, जिला धार

2. तहसीलदार, तहसील धरमपुरी, जिला धार

..... प्रतिप्रार्थीगण

श्री विवेक प्रसाद
अभिभाषक का
सुनवाई

आवेदन पत्र धारा 32 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई आज ही किये जाने बाबद

प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि :-

1. यह कि प्रार्थीगण के द्वारा श्रीमान् के न्यायालय में यह निगरानी दिनांक 18.11.2014 को प्रस्तुत की थी। जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 20.11.2014 को स्थगन आवेदन पत्र पर, सुनवाई की जाकर, प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश दिनांक 20.11.2014 को पारित किया जाकर, प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.02.2015 नियत की गयी थी।

2. यह कि तहसीलदार महोदय द्वारा उक्त स्थगन आदेश का पालन न करते हुये नीलामी की कार्यवाही की जाकर, प्रार्थीगण से उक्त भूमि का कब्जा लिया जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु प्रकरण की सुनवाई आज ही की जाना आवश्यक होने से, यह आवेदन पत्र प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत है।

अतः निवेदन है कि यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रकरण की सुनवाई आज ही की जाकर, प्रकरण में योग्य आदेश पारित करने की कृपा की जावे।

भोपाल केम्प

दिनांक : 28.01.2015



प्रस्तुतकर्ता

.....
प्रार्थी तर्फे अभिभाषक

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक मिसलेनियस 233-पीबीआर/2015 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.02.2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से श्री भरत मालवीय अधिवक्ता उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण को आगे नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया । विचारोपरांत आवेदक के निवेदन पर प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है ।</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> अध्यक्ष</p>